

उलंघन पत्र

रजि.ए .डी.

Speed post/Email



भारत सरकार, खान मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर
INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR
फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in

फाइल संख्या - CHG/BLS/LST-02-38CHG02002 खान कोड 38CHG02002 दिनांक 23/09/2022

प्रेषित- श्री जयकुमार कृष्णस्वामी, मनोनीत मालिक
नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आरसमेटा सीमेंट प्लांट, डाकघर- गोपालनगर,
तहसील-अकालत्रा, जिला- जांजगीर-चांपा,
छत्तीसगढ़, पिन: 465663।

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में स्थित आपकी चिल्हाटी चूना पत्थर खदान, 1085.365 हे. में
खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में।

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 22/08/2022 को अधोहस्तक्षरी द्वारा श्री रितेश
कैमल, एच ओ डी माइंस की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज
संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(1)	The following deviations are observed against the proposal in the approved Review of Mining Plan vide letter no. बिलास / चूप /खयौ-1221/2019-रायपुर dated 11.12.2019 for the period from 2020-21 to 2024-25: In 2021-22, a 350 meter retaining wall & 415 meter garland drain were proposed around waste/OB dumps. However it is observed during inspection that the proposed Retaining wall and Garland drain have not been completed.

- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2)) के अंतर्गत खान की सारी खनन संक्रियाएँ बंद की जा सकती हैं।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

23.09.2022

(दयानन्द उपाध्याय)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि- सुचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर -
440001 Email-com.cz@ibm.gov.in
2. संचालक भौमिकी एवम खनिकर्म, छत्तिसगढ इंद्रावती भवन द्वितीय तल डी ब्लोक, केपिटल
कोम्प्लेक्स , नया रायपुर, छत्तिसगढ- Email dgm.cg@gov.in

/
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो